उपायुक्त का न्यायालय, कोडरमा

मिस्लेनियस अपील वाद संख्या– 06 / 2017

बिन्दु कुमारी बनाम राज्य ।

11.4.17

आवेदिका बिन्दु कुमारी पति–दिलीप चौधरी, साकिन–खैराकला, पोस्ट–नासरगंज (सतगांवा), थाना–सतगांवा, जिला–कोडरमा के द्वारा यह वाद दायर करने हेतु आवेदन प्राप्त हुआ है।

आवेदन में अंकित किया गया है कि अंचल सतगांवा खैराकला, पोषण केन्द्र संख्या–10 का केन्द्र पर अवैध रूप से संगीता कुमारी का चयन कर लिया गया है, जबकि बिन्दु देवी का चयन होना चाहिए क्योंकि पोषण सखी केन्द्र खैराकला नासरगंज कोड संख्या–10 का केन्द्र पर बिन्दु देवी का क्षेत्र पड़ता है। जबकि गलत तरीका से संगीता कुमारी (पति–विपीन कुमार, साकिन–महथाखैरा, पोस्ट व थाना–सतगांवा, जिला–कोडरमा) का चयन कर लिया गया है।

संगीता कुमारी के चयन को रद्द करने और आवेदिका का चयन हेतु आवेदन को स्वीकृत करने का अनुरोध किया गया है।

आवेदन पत्र के साथ वकालतनामा एवं अन्य कागजात की छायाप्रति संलग्न की गई है।

विपक्षी को नोटिस निर्गत करें। अभिलेख दिनांक 11 / 04 /2017 को रखें।

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त
कोडरमा।

उपायुक्त,कोडरमा।

11.4.17 आवेदिका– वकालतन हाजरी/
विपक्षी –
राज्य – जी॰ पी॰ की हाजरी दी गई।
संस्था 04 की ओर से पत्रांक 135 दिनांक 10.4.17 द्वारा जवाब दाखिल की गई।

C.C.No 114/18.4.17

G.P के द्वारा बताया गया कि इस संबंध में writ दाखिल किया जा सकता है एवं यह इस न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं आता है अतः वाद खारिज की जाती है। वादी सक्षम न्यायालय में जाने हेतु स्वतंत्र है।

11/4

[illegible] 11.04.17 for Petitioner/Appellant